RAS MAINS TEST SERIES 2018

PAPER –III GENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL STUDIES

Unit-II - **POLITICAL**

नोटः सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है।

1. आच्छादन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य हैं?

उत्तरः–इसके तहत संविधान से असंगत अथवा मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली धारा/संपूर्ण कानून विधि शून्य होगा अर्थात् टकराव की स्थिति में संविधान विधि पर आच्छादित/प्रभावी रहेगा।

2. 1935 के अधिनियम की कोई दो आलोचनाएँ लिखिए ?

☞ अधिनियम में उत्तरदायी शासन का उल्लेख जबकि कांगेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग।

☞ अखिल भारतीय संघ की स्थापना देशी राज्यों पर निर्भर कर दी।

3. "संविधान सभा-हिन्दुओं की सभा थी" टिप्पणी करें ?

उत्तरः– संविधान सभा में मुस्लिम, सिक्ख व आंग्ल भारतीय भी सम्मिलित थे परन्तु भारत में हिन्दु जनसंख्या अधिक (लगभग 82%) होने के कारण संविधान सभा में हिन्दु बहुमत होना स्वाभाविक था।

4. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) से क्या आशय हैं ?

उत्तरः–न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह संसद द्वारा निर्मित कानूनों व सरकार के आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है, न्यायिक पुनरावलोकन हैं।

5. पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए ?

उत्तरः–पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य उस राज्य से है, जिस राज्य का कोई धर्म न हो, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करे व किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित न करता हो।

6. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताइये ?

उत्तरः–प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य व स्वरूप का संक्षिप्त संकलन हैं। प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि भारत में सत्ता का स्त्रोत भारत की जनता है, भारत एक सम्प्रभु समाजवादी राष्ट्र है जिसमें नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुनिश्चित किया गया हैं। प्रस्तावना भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थापित होने का परिचायक है। प्रस्तावना के आधार पर ही संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की परिस्थितिनुसार व्याख्या की जाती है जिस कारण न केवल शाब्दिक अपितु व्यापक अर्थों में संविधान भारत की अखण्डता को विगत सात दशकों से बनाये रखने में सक्षम हुआ है। इसी के साथ प्रस्तावना वर्तमान सरकार के कार्यों के मूल्यांकन का आधार प्रदान करती हैं।

7. आधारभूत ढ़ाचे की संकल्पना स्पष्ट कीजिए ?

उत्तरः–केशवानन्द भारती वाद (1973) में यह प्रतिपादित हुआ कि संविधान के कुछ ऐसे भाग होते है जिनमें संशोधन से संविधान के दर्शन व राजव्यवस्था में भटकाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसे भाग ही आधारभूत ढ़ाँचा कहलाए। 1973 से अब तक इसके अन्तर्गत संविधान की सर्वोच्च विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, संसदीय शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन एवं शक्ति पृथक्करण जैसे तत्व सम्मिलित किये जा चुके हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन करना निषेध किया गया हैं।

8. भारतीय संविधान की प्रकृति व विशेषताओं का वर्णन करें ?

उत्तरः– विभिन्न स्त्रोतों से विहित, विश्व का सबसे लम्बा संविधान अपनी विशेषताओं के कारण विगत 70 वर्षों से राष्ट्र का सर्वोच्च मार्गदर्शक बना हुआ है।

भारतीय संविधान एक सशक्त केन्द्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता व दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका के कारण क्रमशः एकात्मकता व संघात्मकता के समायोजन का घोतक हैं।

संविधान संशोधन की आवश्यकता के परिमाप के रूप में विषयानुसार सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत अथवा विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति इसे परिस्थितिनुसार नम्य व कठोर बनती है।

संविधान की अन्य विशेषताओं में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष व परोक्ष निर्वाचन, सर्वोच्च सत्ता के साथ तृणमूल सत्ता की उपस्थिति महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का वाहक है जिसका शाब्दिक संदर्भ प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिखाई देता हैं। उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त भारतीय संविधान एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित हैं।

सारथि एकेडमी